

फर्द अहकाम


मुरलीधर बनाम सागर कान्य

मालय

संख्या 158/2011

वाद

विशेष विवरण

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/12/18		<p>वकील कारी अपण पत्रावली का संकलन किया गया। मुताबिक कुरैजल रिपोर्ट कारी गणना काड अन्तिम डिली किया जावई विस्तृत निर्णय प्रथम से लिखाया जाऊ शारमि किया गया। अन्तिम डिली जारी हो पत्रावली फंसाव शुभा होका दर्ज नम्बर से कम हो तथा दारखिल फरवरे हो</p> <p></p> <p>सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)</p>	

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-158/2011

उनवान

1. मुरलीधर पुत्र खेताराम (मृतक दौराने दावा फोत)
 - 1/1. ताराचन्द पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/2. महिपाल पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/3. विजयपाल पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/4. हंसराज पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/5. रमेश कुमार पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/6. भगवानी देवी पत्नी स्व0 मुरलीधर
 - 1/7. संतोष देवी पुत्री स्व0 मुरलीधर

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मालीराम पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम


1. सागर पुत्र रामदेव
 2. चौथू पुत्र रामदेव
 3. सुवा पुत्र रामदेव
 4. मु. सोनी पत्नी रामदेव (दौराने दावा फोत)

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

 - 4/4. झमकू देवी पुत्री स्व. सोनी पत्नी सागरमल रोज
 - 4/5. कमली देवी पुत्री स्व. सोनी पत्नी छीतरमल

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

 - 4/6. श्रवणी देवी पुत्री स्व. सोनी पत्नी महावीर बिजारनियां जाति जाट, निवासी ग्राम काँसल्डा वाया जाजोद, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 5. रामबक्स पुत्र हनुमान
 6. गिरधारी पुत्र हनुमान
 7. रिछपाल पुत्र हनुमान
 8. जगदीश पुत्र हनुमान
 9. सुरेश पुत्र हनुमान
 10. मोठी पत्नी हनुमान
 11. चन्दा देवी पुत्री हनुमान
 12. मक्खनी देवी पुत्री हनुमान
 13. कमला देवी पुत्री हनुमान
 14. माया देवी पुत्री हनुमान
 15. पन्ती देवी पुत्री हनुमान
- समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।


सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

16. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्श जरिये शाखा प्रबंधक शाखा ग्राम किशनपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण


दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :- 17.12.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव के मुताबिक वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा खातेदारों का रिकार्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही बनाया गया है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के खसरा नं0 531 रकबा 0.01 है0, 532 रकबा 1.16 है0, 545 रकबा 0.15 है0, 546 रकबा 0.17 है0, 547 रकबा 0.80 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.29 हैक्ट0 वाके ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-


1. भगवानी देवी पत्नी मुरलीधर, ताराचन्द, महीपाल, विजयपाल, हंसराज, रमेश कुमार पि0 मुरलीधर, सन्तोष देवी पुत्री मुरलीधर हि0 3/4 मालीराम पुत्र खेताराम हि0 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 532/2 रकबा 0.02 है0, 547/2 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट0 प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सागरमल, चौधू, सूवा पि0 रामदेव हि0 8/9 झिमकू देवी, श्रवणी देवी पुत्रियां रामदेव हि0 1/9 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. शाखा किशनपुरा मुर्तहीन के हिस्से में खसरा नम्बर 531 रकबा 0.01 है0, 532/1 रकबा 0.17 है0, 532/3 रकबा 0.97 है0, 546 रकबा 0.17 है0, 547/1 रकबा 0.24 है0, 547/3 रकबा 0.52 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.08 हैक्ट0 प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।


सहायक क्लर्क
चौमूं (जयपुर)

3. योठी पत्नी हनुमान, रामबक्स, रिछपाल, गिरधारी, सुरेश, जगदीश पि0 हनुमान, कमली, मक्खनी, चन्दा, माया पि0 हनुमान जाति जाट सा0देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 545 रकबा 0.15 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.15 है0 प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बौधायक कलेक्टर
धौमू (जयपुर)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं, जिला-जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

उनवान

1. मुरलीधर पुत्र खेताराम (मृतक दौराने दावा फोट)
 - 1/1. ताराचन्द पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/2. महिपाल पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/3. विजयपाल पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/4. हंसराज पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/5. रमेश कुमार पुत्र स्व0 मुरलीधर
 - 1/6. भगवानी देवी पत्नी स्व0 मुरलीधर
 - 1/7. संतोष देवी पुत्री स्व0 मुरलीधर

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मालीराम पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम


1. सागर पुत्र रामदेव
2. चौथू पुत्र रामदेव
3. सुवा पुत्र रामदेव
4. मु. सोनी पत्नी रामदेव (दौराने दावा फोट)

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

 - 4/4. झमकू देवी पुत्री स्व. सोनी पत्नी सागरमल रोज
 - 4/5. कमली देवी पुत्री स्व. सोनी पत्नी छीतरमल

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

 - 4/6. श्रवणी देवी पुत्री स्व. सोनी पत्नी महावीर बिजारनियां जाति जाट, निवासी ग्राम काँसलडा वाया जाजोद, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
5. रामबक्स पुत्र हनुमान
6. गिरधारी पुत्र हनुमान
7. रिछपाल पुत्र हनुमान
8. जगदीश पुत्र हनुमान
9. सुरेश पुत्र हनुमान
10. मोठी पत्नी हनुमान
11. चन्दा देवी पुत्री हनुमान
12. मक्खनी देवी पुत्री हनुमान
13. कमला देवी पुत्री हनुमान
14. माया देवी पुत्री हनुमान
15. पन्ती देवी पुत्री हनुमान


 सहायक कलेक्टर
 चौमूं (जयपुर)

- समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्श जरिये शाखा प्रबंधक शाखा ग्राम किशनपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण


दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :-158/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के खसरा नं0 531 रकबा 0.01 है0, 532 रकबा 1.16 है0, 545 रकबा 0.15 है0, 546 रकबा 0.17 है0, 547 रकबा 0.80 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.29 हैक्ट0 वाके ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

1. भगवानी देवी पत्नी मुरलीधर, ताराचन्द, महीपाल, विजयपाल, हंसराज, रमेश कुमार पि0 मुरलीधर, सन्तोष देवी पुत्री मुरलीधर हि0 3/4 मालीराम पुत्र खेताराम हि0 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 532/2 रकबा 0.02 है0, 547/2 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट0 प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सागरमल, चौथू, सूवा पि0 रामदेव हि0 8/9 झिमकू देवी, श्रवणी देवी पुत्रियां रामदेव हि0 1/9 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. शाखा किशनपुरा मुर्तहीन के हिस्से में खसरा नम्बर 531 रकबा 0.01 है0, 532/1 रकबा 0.17 है0, 532/3 रकबा 0.97 है0, 546 रकबा 0.17 है0, 547/1 रकबा 0.24 है0, 547/3 रकबा 0.52 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.08 हैक्ट0 प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. गोठी पत्नी हनुमान, रामबक्स, रिछपाल, गिरधारी, सुरेश, जगदीश पि0 हनुमान, कमली, मक्खनी, चन्दा, माया पि0 हनुमान जाति जाट सा0देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 545 रकबा 0.15 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.15 है0 प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।


सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
 फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा
 करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.12.2019 को
 जारी किया गया

मोहर

दस्तखत

सहायक कलक्टर
 ओहदा.....चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
 चौमूँ (जयपुर)

